

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
में ब्रांच-य

वल्लभ भवन, भीमाल - 462004
= = = = =

क्रमांक- एफ 73- 66/20-3/2005

भीमाल, दिनांक - 25/6/85

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषय :- अज्ञातकीय एल.जी. रेकेडमी केटराऊ रोड, इन्दौर, म०प्र०
को सी. वी. एस्. ई. / आई. सी. एस्. ई. से सम्बद्धता हेतु एन.ओ. सी.
देने बाबत ।

== 00 ==


राज्य शासन द्वारा अज्ञातकीय एल.जी. रेकेडमी, केटराऊ रोड, इन्दौर, म०प्र०
को सी. वी. एस्. ई. / आई. सी. एस्. ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति
प्रमाण पत्र विदेश प्रकरण मानकर निम्नालिखित शर्तों पर दिशा जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य-समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी
को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे
प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रजोद्यक सूपरीक्षक को
या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना
होगा ।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों
में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों
को संस्था को करना होगा ।
04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है ।
परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
को इनके किसी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो
उपलब्ध कराना होगा ।

निरन्तर 2 पर.....

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



१ आर. आर. ३१६/६/२०१९
अवर सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

पृ. क्र. स्फ 73 - /20-3/200

भोपाल, दिनांक -

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म०प्र० भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - इन्दौर, मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य, अशा. एल.जी. सेकेंडरी कटराऊ रोड, इन्दौर, म०प्र०।

की ओर तुरन्त एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रोधित है।

अवर सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

//मानकर//

30.12.04


Principal
LG.ACADEMY
CAT-Rau Road, Indore
Ph.8269006659